29/6/18

पत्रावली कैम्प कोर्ट रिवनाभिमा में पेश की गई। वकील वादी उप. वादी श्री वकील वादी श्री अनिल सिसना Adv. ने की। वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी के नाम से चक नम्बर 1 A बारानी खाता संख्या 177/168 में 3.845 हे. में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.282 हे. व चक नं. 20 KNN खाता संख्या 145/135 में 1.834 हे. में से 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का नाम उपर्युक्त चकों में महेन्द्र सिंह अंकित है जबकि मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट में महेन्द्र सिंह सिंवर अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत रिवनाभिमां

नं 2 महेन्द्रसिंह सिंवर के नाम की तस्दीक की है जिसमें अंकित किया है कि वास्तविक नाम महेन्द्रसिंह सिंवर है का अंकन किया है। वादपत्र में नामब तहसीलदार तलवाड़ा कैम्प रविनानियां में जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया है कि राज्यहित सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश मतदाता पहचान पत्र पासपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत रविनानियां की तस्दीक अवलोकन किया गया। उपरोक्त दस्तावेजों में वादी का नाम महेन्द्रसिंह सिंवर अंकित है। वादवादी साबित होने से काबिल स्वीकार है। अतः वादवादी स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 1 A बारानी खाता संख्या 177/168, चक नं. 20 KNN खाता संख्या 145/135 में महेन्द्रसिंह के स्थान पर महेन्द्र सिंह सिंवर पुत्र भागीरथ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार को अलग से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार मय की जाकर दाखिल दफ्तर हो।